



खरीददारों के लिए दस्तावेज़ अपलोड क्विक गाइड

एक्सपोर्ट पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए कृपया इस सामान्य गाइड का उपयोग करें.

दस्तावेज़ के प्रकार मानक दस्तावेज़

- पासपोर्ट
या
- सरकार द्वारा जारी आई डी

मान्य फ़ाइल प्रकार

- PDF
- JPG
- JPEG
- PNG

फ़ाइल की आवश्यकताएँ अधिकतम फ़ाइल साइज़

- 2MB
- अगर आपकी फ़ाइल साइज़ ज्यादा हो तो कृपया साइज़ कम करें.

- दस्तावेज़ों को उनके वर्ग के अनुसार अलग-अलग अपलोड किया जा सकता है.
- कृपया सभी दस्तावेज़ अपलोड करें. अगर आप सभी दस्तावेज़ों में से सर्फ़ एक अपलोड करते हैं तो आपका अकाउन्ट सत्यापित नहीं किया जाएगा.

सत्यापन प्रक्रिया में साधारण रूप से 2 से 5 कार्य दिवस (बज़िनेस डेज़) लगते हैं.

कृपया जांच ले कि आपके दस्तावेज़ नमिन्लखित मानदंडों के अनुसार हो:

- वे सही एवं असली हो;
- आपके दस्तावेज़ की कॉपी स्पष्ट हो और आसानी से पढ़ी जा सके;
- आपका नाम दस्तावेज़ों में द्रिग गए नाम से मेल खाता हो;
- आपका पता दस्तावेज़ों में द्रिग गए पते से मेल खाता हो;
- दस्तावेज़ों की समय सीमा समाप्त न हुई हो. यदि दस्तावेज़ों की समय सीमा समाप्त हो गई हो, तो हमें नवीनीकरण प्रमाण पत्र दें;

ऊपर लिखे गए मानदंडों में किसी एक को भी को अगर नहीं माना गया तो आपका आवेदन अस्वीकार किया जाएगा.

1. अपने अकाउन्ट में एन्टर करें

पंजीकरण पूरा होने के बाद (पुष्टिकरण लंकि क्लिक करने पर) जसि ईमेल और पासवर्ड से आपने साइन अप किया हो उसे व्यवहार करके फरि से एक्सपोर्ट पोर्टल पर लॉगिन करने को कहा जाएगा.

2. सत्यापन पृष्ठ

लॉगिन करते ही आपको एक नया वडि दखाई देगा। इस वडि में आपके प्रोफाइल को सफलतापूर्वक पूरी करने के 3 चरण शामिल किए गये हैं।

- अकाउन्ट सत्यापन;
- नजि जानकारी;
- अकाउन्ट प्रकार सेटअप.

हमारा सुझाव है कि आप 'अकाउन्ट सत्यापन' से शुरू करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें. ताकि जब आपके दस्तावेजों पर कार्यवाही चल रही हो उस वक्त आप दूसरी जानकारी भर सकें.

3. दस्तावेज अपलोड करने से पहले

"अकाउन्ट सत्यापन" बटन तक पहुंचने के बाद, आपको सत्यापन पृष्ठ पर ले जाया जाएगा.

यहां "खरीददार" के तौर पर आपको केवल एक दस्तावेज अपलोड करना होगा




पासपोर्ट या सरकार द्वारा जारी की गई आई डी

- * अगर आपके द्वारा भरे गए देश और पता हमारे वेबसाइट में दिए गए सूचना से न मिलते हो तो आपको एक "रेजिडेंसी पुष्टिकरण" अपलोड करने को कहा जाएगा.
- * अगर आप नश्चिती रूप से जानते हैं कि आपका दस्तावेज सही है मगर कुछ विवरण नहीं मेल खाते हैं तो हमारे ग्राहक सहायक से संपर्क करें और हमें आपकी स्थिति के बारे में बताएं

4. दस्तावेज प्रतिस्थापन

आप किसी एक दस्तावेज के बदले दूसरी ऐसी दस्तावेज जमा कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट पोर्टल द्वारा स्वीकृत हो, जैसे

पासपोर्ट या सरकार द्वारा जारी की गई आई डी या:



ड्राइवगि
लाइसेंस



आई
डी कार्ड



टैक्स
आई डी कार्ड



रेजिडिन्स
परमिट कार्ड

5. दस्तावेज अपलोड

1. पहले अपने कंप्यूटर से फाइल चुनने के लिए “अपलोड फाइल” बटन क्लिक करें.
2. फिर हमारे सिस्टम में इसे दाखल करने के लिए “कनफर्म” दबाएं.

6. प्रसंस्करण

पुष्टिकरण के बाद आप देखेंगे कि आपके दस्तावेज का प्रसंस्करण किया जा रहा है.

अगर जरूरत महसूस करें तो अपने सवाल लेकर हमारे ग्राहक सहायता टीम से नसिंसकोच संपर्क करें.

अगर आप जांच से पहले अपने दस्तावेज फिर से अपलोड करना चाहें तो “रि-अपलोड” बटन क्लिक करें..

7. पुष्टिकृत दस्तावेज

सत्यापन चरण को पास कर लेने पर आपकी प्रोफाइल 60% पूरी हो चुकी होगी!

अपना अकाउंट सक्रिय करने के लिए अब बस “नजी जानकारी” और “अपना अकाउंट टाइप सेटअप” भरना बाकी रहेगा.

8. सक्रिय स्थिति

“नजी जानकारी” और “अपना अकाउंट टाइप सेटअप” में आवश्यक तथ्य भरने के बाद एडमिन आपका अकाउंट सक्रिय कर देंगे. आप एक्सपोर्ट पोर्टल पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे!